कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

आदेश संख्या - 3134-39 **दिनांक :** 31-7-2012

प्रबन्धक,
जे०डॉन वास्को स्कूल
खोजापुर चकइनामी, पल्हनी
शिक्षा क्षेत्र :- पल्हनी
जनपद - आजमगढ़।

विषयः "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 14.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं जे० डॉन वास्को स्कूल खोजापुर-चकइनामी, पल्हनी को दिनांक 01 जुलाई 2011 से दिनांक 30 जून 2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध-2)के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा -1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25(पच्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा -15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

   विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :-

   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षापूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ततागस्त/विशेष आवश्कताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है। पाँच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
   - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

- कुल निर्मित क्षेत्र –
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल –
- कक्षाओं की संख्या –
- प्राध्या`क सहकार्यालय – सहभण्डार के लिए कक्ष–
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय –
- पेयजल सुविधा –
- मिड--डे–मिल पकाने के लिए रसोई–
- बाध`रहित पहुँच –
- अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चला जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय कि सोसाइटीरजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वार या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया ज रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं किसी चार्टड, आकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक......01...... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक को उद्घृत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नीवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(रमेश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।
3/07/12

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा सामान्य (2) अनुभाग शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।
5– खण्ड शिक्षा अधिकारी ......[illegible]...... आजमगढ़।

(रमेश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।